बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

रा0 संख्या:– 3/अ0प्र0–01–35/2021 2971 /पटना, दिनांक :– 3-12-24

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के अधीन मुख्यमंत्री ग्रामीण सम्पर्क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सबरौली से करहुआघाट पथ की गुणवत्ता की जॉच तीन सदस्यीय जॉच समिति द्वारा दिनांक 21.08.2021 को की गई। निरीक्षण के क्रम में पथ के GSB Gr.-I एवं WBM Gr.-III की मुटाई एवं Road way की चौड़ाई प्रावधान से कम पायी गयी। Carriage way की चौड़ाई बांध पर कम पायी गयी। बाढ़ के कारण कई जगह पथ में कटाव पाया गया जिसके कारण Shoulder तथा Bitumen Part के क्रस्ट एवं Edge क्षतिग्रस्त हो गया था। पथ के CC Portion में Crack एवं Surface expose हो गया था जिसमें जॉच के समय सुधारात्मक कार्य कराया जा रहा था। प्राक्कलन में प्रावधानित दो अदद HP culvert के स्थान पर 1 अदद HP culvert पाया गया। समेकित मंतव्य के रूप में जॉच समिति द्वारा जॉच प्रतिवेदन में वित्तीय क्षति होने का उल्लेख किया गया।

2. उपर्युक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में पथ निर्माण कार्य में पाई गई अनियमितता संबंधी आरोपों पर श्री सनोज राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 914 दिनांक 29.04.2022 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री राम द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 14.07.2023 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग से कराई गई। अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने समीक्षा में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि

"जॉच दल द्वारा 200m stone, traffic sign प्रावधान से कम पाया गया। इस संबंध में आरोपित सहायक अभियंता का स्पष्टीकरण की उनका पदस्थापन जून 19 तक रहा है एवं उसके बाद पदस्थापित सहायक अभियंता ही इस संबंध में स्पष्ट कर सकेंगे, स्वीकारयोग्य नहीं है। traffic sign अथवा 200m stone निर्माण कार्य के दौरान स्थापित किये गये थे, इस संबंध में आरोपित सहायक अभियंता ने कोई साक्ष्य जैसे फोटोग्राफ इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया है। (ii) ch-125m पर उपरी तल की चौडाई 5.15m एवं ch-941m पर 3.8m पायी गयी, जो प्रावधानित 6m से कम ch-125m पर उपरी तल की चौडाई 5.15m एवं 941m पर 3.8m पाये जाने के संबंध में श्री राम ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि पथ का निर्माण कार्य दिनांक 03.08.2018 को पूर्ण हुआ था। उसके पश्चात् अत्यधिक वर्षा एवं बाढ के कारण flank में कमी आयी है, FDR प्रतिवेदन एवं संलग्न फोटोग्राफ के आलोक में यह माना जा रहा है कि flank की चौडाई में पानी के कारण कमी आयी होगी। अतः इस संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकारात्मक माना जा सकता है। (iii) ch-125m पर GSB GR-1 की मोटाई 200mm के स्थान पर 66mm तथा ch-941m पर GSB Gr-I की मोटाई 200mm के स्थान पर 53mm पाये जाने संबंध में श्री राम ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि FDR के कारण road क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके कारण Road crust disturb हो गया था। जॉच प्रतिवेदन में जॉच दल द्वारा FDR effected chainage पर sample लिये जाने का उल्लेख नहीं है। संलग्न फोटोग्राफ से यह प्रतीत होता है कि केवल कुछ चैनजों पर ही flood के कारण road crust क्षतिग्रस्त हुआ है। अतः मोटाई के संबंध में बचाव बयान स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं

होता है। (iv) ch-125m पर WBM Gr-III की मोटाई 75mm के स्थान पर 64mm तथा ch-941 पर WBM GrIII की मोटाई 75mm पाया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला, दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार CH-125m पर WBM Gr-III का Gradation जॉचफल स्वीकार योग्य नहीं होने के संबंध में श्री राम ने अपने स्पष्टीकरण में FDR के कारण road-crust का disturb होना बताया है। जॉच प्रतिवेदन में जॉचदल द्वारा FDR effeted chainage पर sample लिये जाने का उल्लेख नहीं है। संलग्न फोटोग्राफ से यह प्रतीत हो रहा है कि केवल कुछ चैनेजों पर ही flood के कारण road crust क्षतिग्रस्त हुआ है। अतः मोटाई के संबंध में बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है। (v) प्राक्कलन में प्रावधानित दो अदद HP culvert के स्थान पर 1 अदद HP culvert पाये जाने के संबंध में श्री राम ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि स्थल के आवश्यकतानुसार वरीय पदाधिकारी के निदेश पर दो स्थानों के स्थान पर एक HP culvert का निर्माण किया गया था। श्री राम ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि स्थल के स्थल के अनुरूप MB में Entered कर भुगतान किया गया होगा तो कोई वित्तीय क्षति नहीं होगी परन्तु श्री राम द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ MB की छायाप्रति को संलग्न नहीं किया गया है।"

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अभियंता प्रमुख द्वारा समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्ध आरोपों को समेकित रूप में आंशिक रूप से स्वीकारात्मक माने जाने का मंतव्य अंकित किया गया।

3. अभियंता प्रमुख से प्राप्त मंतव्य के आलोक में मामले की समीक्षोपरान्त श्री सनोज राम के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध संकल्प सं0 2518 दिनांक 19.09.2024 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गई।

4. उक्त शास्ति आदेश के विरूद्ध श्री राम द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24 के तहत पत्रांक शुन्य दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। श्री राम द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया कि संबंधित अवर प्रमंडल में उनका पदस्थापन जून 2019 तक रहा एवं जॉच दल द्वारा पथ का निरीक्षण दिनांक 21.08.2021 को किया गया है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं था। साथ ही श्री राम द्वारा विभागीय कार्यालय आदेश सं0 66 दिनांक 03.10.2013 एवं निगरानी विभाग के कार्यालय आदेश सं0 1389 दिनांक 16.09.1994 को संलग्न करते हुए यह उल्लेख किया गया कि जॉच दल द्वारा पथ क्रस्ट की जॉच नियमानुसार नहीं की गई है। विभागीय कार्यालय आदेश सं0 66 दिनांक 03.10.2013 में पथों की जॉच हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत है। उक्त के अनुसार जिस किलोमीटर में मुटाई मापी जानी है, उसके प्रारंभ, अंत और बीच में एक–एक बिन्दु (यानि कुल तीन बिन्दु) पर मुटाई मापी जाय। इन तीन बिन्दुओं को पथ के बायें, पथ के दायें एवं पथ के मध्य में लिया जायेगा। तीन बिन्दुओं की औसत मुटाई उस किलोमीटर की औसत मुटाई मानी जायेगी। निगरानी विभाग के कार्यालय आदेश में भी इसी प्रकार का दिशा–निर्देश निर्गत है।

5. श्री राम द्वारा समर्पित पुनर्विचार अर्जी में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मामले पर पुनर्विचार करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया। मामले की समग्र समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए संकल्प सं0 2518 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति को असमानुपातिक पाया गया।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सनोज राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बॉका–2 के विरूद्ध संकल्प सं0 2518 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (v) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

SKumar 2/12/24

(संजय कुमार)

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–35/2021 2971 /पटना, दिनांकः– 3-12-24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

SKumar 2/12/24

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–35/2021 2971 /पटना, दिनांकः– 3-12-24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बॉका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SKumar 2/12/24

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–01–35/2021 2971 /पटना/दिनांकः– 3-12-24

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मधुबनी/भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बॉका–2/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SKumar 2/12/24

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–01–35/2021 2971 /पटना/दिनांकः– 3-12-24

प्रतिलिपिः– श्री सनोज राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बॉका–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SKumar 2/12/24

अवर सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

7/12/24

(ट)

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–35/2021 2971 /पटना/दिनांकः– 3-12-24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

SKumar 3/12/24
अवर सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–01–35/2021 2971 /पटना/दिनांकः– 3-12-24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

SKumar 3/12/24
अवर सचिव